बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भा.रि.बैंक/2025-26/71
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.08

05 अगस्त 2025

सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय

भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 10 के पैरा 10 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लिए बिना पारदेशीय प्रतिनिधि बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलने की अनुमति दी जाए।

3. उपरोक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय,

(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 5वीं मंजिल, अमर भवन, सर पी.एम.रोड, फोर्ट मुंबई - 400 001
Foreign Exchange Department, Central Office, 5th Floor, Amar Building, Sir P.M.Road, Fort, Mumbai – 400 001
Telephone: (91-22) 22603000, Email Id – fedcotrade@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए
चेतावनी : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई-मेल, डाक, एसएमएस या फोन-कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं माँगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके में जबाब मत दीजिए
Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like banks account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers